



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052021-226833
CG-DL-E-04052021-226833

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 4, 2021/वैशाख 14, 1943

No. 252]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 4, 2021/VAISAKHA 14, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2021

सा.का.नि. 318 (अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित 139क की उपधारा (8) के खंड (घ) और धारा 206कक की उपधारा (7) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौदहवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 114कक में,--

(1) उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“(2क) धारा 139क के उपबंध अनिवासी को लागू नहीं होंगे, जो एक पात्र विदेशी विनिधानकर्ता है, जिसने केवल धारा 47 के खंड (viiकख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति में संव्यवहार किया है, जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में

अवस्थित शेयर बाजार में सूचीबद्ध है और ऐसी पूंजी आस्ति के अंतरण पर प्रतिफल संदत्त किया जाता है या विदेशी मुद्रा में संदेय है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जाती हैं, अर्थात् :--

- (i) पात्र विदेशी विनिधानकर्ता भारत में धारा 47 के खंड (vii)कख) में निर्दिष्ट पूंजी आस्ति के अंतरण से आय से भिन्न कोई आय अर्जित नहीं करता है ;
- (ii) पात्र विदेशी विनिधानकर्ता, स्टॉक दलाल को जिसके माध्यम से संव्यवहार किया जाता है, निम्नलिखित ब्यौरे और दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात् :--
 - (क) नाम, ई-मेल आईडी, संपर्क नंबर ;
 - (ख) भारत के बाहर के उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का पता जिसका वह निवासी है ;
 - (ग) एक घोषणा कि वह भारत के बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र का निवासी है ; और
 - (घ) उसके निवास वाले देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में कर पहचान संख्या और यदि ऐसी संख्या उपलब्ध नहीं है, तब विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा अनिवासी के उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र की, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है, पहचान की जाए ।

(2ख) स्टॉक दलाल, वित्तीय वर्ष की तिमाही के लिए एक तिमाही विवरण, जिसमें उसके द्वारा प्राप्त किए गए उपधारा (2क) में निर्दिष्ट ब्यौरे और दस्तावेज हैं, प्ररूप संख्या 49खक में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा, और ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे विवरण संबंधित हैं, की तिमाही की समाप्ति के पन्द्रह दिन के भीतर उपनियम (3) के अधीन प्रधान महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) या महानिदेशक आय-कर (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं, रूप विधानों और मानकों के अनुसार उपधारा (2क) के खंड (ii) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट घोषणा, अपलोड करेगा ।”;

- (II) उपनियम (3) में, “उपनियम (2) के उपबंधों के अनुसार” शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, “उपनियम (2) या उपनियम (2ख) के उपबंधों के अनुसार” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(III) स्पष्टीकरण में,--

- (अ) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

‘(क) “विनिर्दिष्ट निधि” से भारत में न्यास या कंपनी या सीमित दायित्व भागीदारी या निगमित निकाय के रूप में स्थापित या निगमित कोई निधि अभिप्रेत है, जिसे प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 वैकल्पिक विनिधान निधि के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है और जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) के अधीन बनाए गए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (वैकल्पिक विनिधान निधियां) विनियम, 2012 के अधीन विनियमित की जाती है और जो किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित है या धारा 10 के खंड (4घ) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) के उपखंड (i) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट निधि है ;”;

- (आ) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

‘(ग) “पात्र विदेशी विनिधानकर्ता” से ऐसे अनिवासी अभिप्रेत हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, परिपत्र आईएमडी/एचओ/एफपीआईसी/सीआईआर/पी/2017/003, तारीख 4 जनवरी, 2017 के अनुसार क्रियाशील हैं ;

(घ) “स्टाक दलाल” से किसी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में अवस्थित मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में व्यापार अधिकार रखने वाला व्यक्ति और ऐसे बाजार का सदस्य अभिप्रेत है।’।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में, प्ररूप 49खक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

“प्ररूप सं. 49कक

[नियम 114ककख देखें]

किसी विनिर्दिष्ट निधि या स्टॉक दलाल द्वारा नियम 114ककख में निर्दिष्ट अनिवासी के संबंध में की
तिमाही के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला त्रैमासिक विवरण
(वित्तीय विवरण)

1. निधि/स्टॉक दलाल का नाम :
2. प्रवर्ग (विनिर्दिष्ट निधि/स्टॉक दलाल) :
3. स्थायी लेखा संख्यांक/आधार संख्या :
4. नियम 114ककख के उपनियम (1)/उपनियम (2क) में निर्दिष्ट अनिवासी के व्यौरे

क्रम सं.	नाम	ई-मेल पता	संपर्क संख्या	भारत से बाहर देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में पता, जिसमें अनिवासी निवासी है	कर पहचान संख्या, यदि कोई हो	विशिष्ट संख्या, जिसके आधार पर अनिवासी की उस देश की सरकार में या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में पहचान की जाती है, जिसका वह निवासी होने का दावा करता है (प्रस्तुत किया जाना है, यदि कर पहचान संख्या उपलब्ध नहीं है)

सत्यापन

मैं(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री, जिसका स्थायी लेखा संख्या/आधार संख्या..... है, सत्यनिष्ठा से, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार घोषणा करता हूँ कि ऊपर दी गई सूचना सही और पूर्ण है।

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम

स्थान :

तारीख :

संलग्नक (अपलोड किए जाने हैं)

नियम 114ककख के, यथास्थिति, उपनियम (1) के खंड (iii) के उपखंड (ग) या उपनियम (2क) के खंड (ii) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट किसी अनिवासी से प्राप्त घोषणा।”।

[अधिसूचना सं. 42/2021/फा. सं. 370133/08/2020-टीपीएल]

कमलेश चंद्र वाष्णेय, संयुक्त सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन आय-कर (तेरहवां संशोधन) नियम, 2021 अधिसूचना सं. सा.का.नि. 314(अ) तारीख 03 मई, 2021 द्वारा किया गया।